

उत्तर प्रदेश

पुलिस अधिनियम, 1861 एवं विनियम

U.P. POLICE ACT, 1861 & REGULATIONS

A Complete Text Book

Useful For: U.P. APO, SI, Constable, Rankers
& Other Police Exams

Contains
2 Model
Papers

450+

अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह



परीक्षा पद्धति के अनुसार सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री

Code
CB167

Price
₹ 69

Pages
80

Contact
+91-9258088445

भूमिका

‘उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम, 1861 एवं विनियम’ पुस्तक अपने सुधी पाठकों के हाथों में सौंपते हुए मुझे अपार हर्ष एवं आनन्द का अनुभव हो रहा है। इस पुस्तक में हमने कानून सम्बन्धित परीक्षाओं में आने वाले समस्त सम्भावित प्रश्नों को समाहित करने का प्रयत्न किया है, जिससे परीक्षार्थी को प्रतियोगी परीक्षा में अधिक-से-अधिक अंक प्राप्त हो सकें।

हम आभारी हैं अग्रवाल Examcart के, जिन्होंने इस पुस्तक को छापने का निर्णय लेकर विद्यार्थियों की परीक्षागत कठिनाइयों को आसान करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

‘उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम, 1861 एवं विनियम’ से सम्बन्धित अध्यायों में सभी धाराओं का समावेश किया गया है। आप अपने सुझावों तथा परामर्शों एवं पुस्तक की त्रुटियों से अवगत कराकर अवश्य ही अनुग्रहीत करें, जिससे आगामी संस्करण में इस प्रस्तुति को और अधिक उपयोगी बनाकर प्रस्तुत कर सकें। इस पुस्तक को पढ़कर यदि आपको सफलता प्राप्त होगी तो हम अपने इस प्रयास को सार्थक समझेंगे।

—Examcart Experts

विषय-सूची

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
Unit I	: प्रमुख धाराएँ एवं पैरा	[1-3]
Unit II	: पुलिस अधिनियम	[4-24]
	वस्तुनिष्ठ प्रश्न	16-24
Unit III	: पुलिस विनियमन	
	अध्याय 1 से 9 (पैरा 1 से 96)	[25-65]
	अध्याय 1. वरिष्ठ अधिकारी (पैरा 1 से 17क तक)	25-27
	अध्याय 2. रिजर्व निरीक्षक व उप निरीक्षक (पैरा 18 से 24 तक)	27
	अध्याय 4. क्षेत्र निरीक्षक (पैरा 40 से 42 तक)	27-28
	अध्याय 5. उपनिरीक्षक एवं सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी (पैरा 43 से 64क तक)	28-30
	अध्याय 6. सशस्त्र पुलिस (पैरा 65 से 72 तक)	30-31
	अध्याय 7. सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व (पैरा 73 से 78 तक)	31-32
	अध्याय 8. घुड़सवार पुलिस (पैरा 79 से 88 तक)	32-33
	अध्याय 9. ग्राम पुलिस (पैरा 89 से 96क तक)	33-34
	अध्याय 10. थाने पर की गयी रिपोर्ट (पैरा 97 से 103 तक)	34-35
	अध्याय 11. अन्वेषण (पैरा 104 से 128 तक)	35-37
	अध्याय 12. पंचायतनामा, शव परीक्षा, घायलों का उपचार (पैरा 129 से 146 तक)	38
	अध्याय 13. गिरफ्तारी जमानत व अभिरक्षा (पैरा 147 से 164 तक)	38-40

अध्याय 14. सम्पत्ति की अभिरक्षा और उसका निस्तारण (पैरा 165 से 173 तक)	40-41
अध्याय 15. विशेष अपराध (पैरा 174 से 185 तक)	41-42
अध्याय 16. अपराधी जनजातियाँ, विदेशी व खानाबदोश (पैरा 186 से 189 तक)	42
अध्याय 17. गश्त और नाकाबंदी (पैरा 190 से 195 तक)	42-43
अध्याय 18. विशेष गारद व अतिरिक्त पुलिस (पैरा 196 से 214 तक)	43
अध्याय 19. फरार अपराधी (पैरा 215 से 222 तक)	43-44
अध्याय 20. बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण एवं निगरानी (पैरा 223 से 276 तक)	44-46
अध्याय 21. आदेशिकाओं का निष्पादन (पैरा 277 से 282 तक)	46
अध्याय 22. अभिलेख व गोपनीय दस्तावेज (पैरा 283 से 300 तक)	46
अध्याय 23. पुलिस थाने पर लिखे गये लेखे (पैरा 301 से 308 तक)	47
अध्याय 24. भारतीय राज्य (पैरा 309 से 321 तक)	47
अध्याय 25. जन्म और मरण की रिपोर्ट देना और उसका पंजीकरण (पैरा 322 से 327 तक)	47
अध्याय 26. अकाल के समय पुलिस अधिकारियों को मार्गदर्शन के लिए निर्देश (पैरा 328 से 337 तक)	48
अध्याय 27. विशेष विधियों और नियमों के अधीन कर्तव्य (पैरा 338 से 369 तक)	49
अध्याय 28. विविध (पैरा 370 से 395 तक)	49
अध्याय 29. नियुक्ति (पैरा 396 से 427 तक)	49-50
अध्याय 30. पदोन्नति (पैरा 428 से 463 तक)	50-51
अध्याय 31. इनाम (पैरा 464 से 476 तक)	51
अध्याय 32. पुलिस अधिकारियों की विभागीय दण्ड और उनका आपराधिक अभियोजन (पैरा 477 से 507क तक)	52
अध्याय 33. अपील, पुनरीक्षण, याचिकायें व दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ (पैरा 508 से 519क तक)	53

	अध्याय 34. स्थानान्तरण (पैरा 520 से 525 तक)	54
	अध्याय 35. प्रशिक्षण (पैरा 527 से 533 तक)	54
	अध्याय 36. उपनिरीक्षकों का प्रशिक्षण (पैरा 534 से 538 तक)	55-56
	अध्याय 37. हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल का प्रशिक्षण (पैरा 539 से 554 तक)	56-57
	वस्तुनिष्ठ प्रश्न	57-65
Unit IV	: मॉडल पेपर 1	[66-70]
	मॉडल पेपर 2	[71-78]
Unit V	: मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न व उत्तर	[79]

UNIT

IV

मॉडल पेपर 1



1. धारा 15 (1) के अधीन जारी की उद्घोषणा में वर्णित होना आवश्यक है—
 (A) उद्घोषणा की कालावधि
 (B) अतिरिक्त पुलिस की संख्या
 (C) महानिदेशक का निर्देश
 (D) उपर्युक्त सभी
2. समुत्थान की रक्षा के लिए नियोजित बल के व्यय का भार होगा—
 (A) स्थानीय सरकार पर
 (B) केन्द्र सरकार पर
 (C) समुत्थान की अभिरक्षा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति पर
 (D) उपर्युक्त सभी पर
3. धारा 15 (क) के अधीन प्रतिवाद के लिए आवेदन किया जाता है—
 (A) जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष
 (B) उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष
 (C) (A) या (B) के समक्ष
 (D) राज्य सरकार के समक्ष
4. मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों एवं जुर्माने की वसूली वर्णित है—
 (A) धारा 36 में (B) धारा 37 में
 (C) धारा 39 में (D) धारा 40 में
5. कर्तव्य इत्यादि के लिए शास्तियाँ बतायी गयी हैं—
 (A) धारा 28 में (B) धारा 29 में
 (C) धारा 31 में (D) धारा 32 में
6. प्रत्येक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रारूप में, जो राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे एक डायरी रखे।
 (A) थाने के भारसाधक अधिकारी
 (B) राज्य सरकार
 (C) (A) व (B) दोनों
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
7. धारा 15 (2) के अधीन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा की गई घोषणा या अवधारणा पुनरीक्षण के अधीन होगा—
 (A) आयुक्त के
 (B) राज्य सरकार के
 (C) (A) या (B) दोनों के
 (D) उपर्युक्त किसी के नहीं
8. यदि कोई भी व्यक्ति उपसंजात नहीं होता है, तब सम्पत्ति—
 (A) बन्धक रखी जा सकेगी
 (B) बेची जायेगी
 (C) गिरवी रखी जायेगी
 (D) उपर्युक्त सभी
9. धारा 21 की कोई बात लागू नहीं होगी—
 (A) आनुवंशिक पुलिस अधिकारी को
 (B) ग्राम पुलिस अधिकारी को
 (C) (A) तथा (B) दोनों को
 (D) उपर्युक्त में से किसी को नहीं
10. किस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेंगे एवं उसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे?
 (A) धारा 25 से (B) धारा 24 से
 (C) धारा 23 से (D) धारा 22 से
11. धारा 34 में वर्णित अपराध नहीं है—
 (A) ढोर वध, बेतहाशा सवारी
 (B) जीव-जन्तु के साथ निर्दयता
 (C) ढोर वध, बेतहाशा सवारी, जीव-जन्तु के साथ निर्दयता
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
12. व्यय के वहन से किन्ही व्यक्तियों या निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट प्रदान की जा सकती है—
 (A) राज्य सरकार द्वारा (B) केन्द्र सरकार द्वारा
 (C) उच्च न्यायालय द्वारा (D) महानिदेशक द्वारा
13. लोक-सड़कों या लोक-मार्ग पर या आम रास्तों पर सब जमाव और जुलूसों के आचरण को विनियमित एवं रास्ते जिनसे और वे समय जिस पर ऐसे जुलूस निकाले जा सकेंगे, विहित कर सकेगा।
 (A) सहायक जिला अधीक्षक
 (B) जिला अधीक्षक
 (C) (A) एवं (B) (C)
 (D) (A) या (B)
14. धारा 34 क से सुलह शुल्क की राशि होगी—
 (A) उस अपराध के लिए नियत जुर्माने की राशि से अनधिक
 (B) ₹ 600
 (C) ₹ 500
 (D) ₹ 700

15. किस धारा के अधीन पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखेगी?
(A) धारा 30 (B) धारा 31
(C) धारा 33 (D) धारा 34
16. कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्ति है—
(A) तीन मास तक कारावास
(B) तीन मास के वेतन तक जुर्माना
(C) (A) या (B)
(D) (A) या (B) अथवा दोनों
17. जबकि कोई सम्पत्ति निरुद्ध की जाती है तब सम्पत्ति पर दावा करने वाला व्यक्ति कितने दिन के भीतर उपस्थित होकर अपना दावा स्थापित कर सकता है?
(A) 15 दिन (B) छः माह
(C) एक माह (D) बारह माह
18. पुलिस अधिकारी किसकी इजाजत के बिना त्यागपत्र देने को स्वतन्त्र नहीं है?
(A) महानिदेशक (B) महानिरीक्षक
(C) पुलिस अधीक्षक (D) उपर्युक्त सभी
19. ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान किस धारा में वर्णित है—
(A) धारा 21 (B) धारा 22
(C) धारा 20 (D) इनमें से किसी में नहीं
20. पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है—
(A) समन के लिए
(B) तलाशी वारण्ट के लिए
(C) अन्य विधिक आदेशिका के लिए
(D) उपर्युक्त सभी
21. यदि कोई भी सम्पत्ति बिना दावे वाली प्राप्त हो तब इस प्रकार की सम्पत्ति को कौन निरुद्ध कर सकेगा?
(A) डी. आई. जी (B) जिला का मजिस्ट्रेट
(C) मजिस्ट्रेट (D) उपर्युक्त सभी
22. किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी इतिला आदि कर सकेंगे?
(A) धारा 25 से (B) धारा 24 से
(C) धारा 23 से (D) धारा 21 से
23. पुलिस अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली डायरी को मँगाने और उसका निरीक्षण के लिए कौन स्वतंत्र है—
(A) आम जनता का कोई भी व्यक्ति
(B) जिला मजिस्ट्रेट
(C) कोई भी मजिस्ट्रेट
(D) इनमें से कोई नहीं
24. पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पास डायरी रखे जाने सम्बन्धी उपबन्ध किस धारा में किये गये हैं ?
(A) धारा 38 (B) धारा 40
(C) धारा 44 (D) इनमें से कोई नहीं
25. पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर अधिकार है—
(A) धारा 47 में (B) धारा 45 में
(C) धारा 42 में (D) धारा 40 में
26. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के सम्बन्ध में उपबन्ध पुलिस अधिनियम की किस धारा में दिये गये हैं—
(A) धारा 23 (B) धारा 34
(C) धारा 25 (D) उपर्युक्त सभी में
27. पुलिस अधिनियम, 1861 से अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रमाणित नहीं होगी, यह उपबन्ध किया गया है—
(A) धारा 32 (B) धारा 33
(C) धारा 36 (D) धारा 37
28. लोक जमावों एवं जुलूसों का विनियमन व उसके लिए अनुज्ञप्ति देना प्रावधान है—
(A) धारा 30 में (B) धारा 31 में
(C) धारा 32 में (D) धारा 38 में
29. किसी धारा 26 के अधीन बेची गयी सम्पत्ति के आगम जिन पर कोई दावा स्थापित नहीं हुआ है, किसके व्ययनाधीन रहेंगे?
(A) राज्य सरकार के (B) मजिस्ट्रेट के
(C) दोनों सही हैं (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
30. यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं हो, तो सम्पत्ति का अधिहरण—
(A) होगा (B) नहीं हो सकेगा
(C) दोनों सही हैं (D) दोनों गलत हैं
31. धारा 28 में हैं—
(A) पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण-पत्र इत्यादि का परिदान करने से इंकार करने वाले व्यक्ति
(B) कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ
(C) लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देना
(D) अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों एवं जुलूसों के सम्बन्ध में प्रक्रियाएँ
32. इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रत्येक व्यक्ति जो अपना प्रमाण-पत्र एवं वस्तु, साज-सज्जा, नियुक्तियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जो उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए प्रदान की गयी थीं। तत्काल परिदान नहीं करता, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर—
(A) छः माह तक का कारावास
(B) ₹ दो सौ से अनधिक शास्ति को
(C) (A) अथवा (B) या दोनों
(D) (A) एवं (B)

33. धारा 35 सम्बन्धित है—
 (A) न्यायिक जाँच से (B) कार्यपालिकीय जाँच से
 (C) विभागीय जाँच से (D) उपर्युक्त सभी
34. कोई अनुवर्षिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी, भर्ती नहीं किया जायेगा—
 (A) बिना अपनी सम्मति
 (B) बिना उनकी जिनको नाम निर्देशन का अधिकार है
 (C) (A) एवं (B) दोनों
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
35. ग्राम पुलिस अधिकारी वर्णित है—
 (A) धारा 19 में (B) धारा 20 में
 (C) धारा 21 में (D) धारा 23 में
36. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य वर्णित हैं—
 (A) धारा 21 में (B) धारा 22 में
 (C) धारा 24 में (D) धारा 23 में
37. किस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे एवं जिले के किसी भाग में नियोजित हो सकेंगे?
 (A) धारा 21 (B) धारा 22
 (C) धारा 25 (D) धारा 24
38. प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना दावे वाली सभी सम्पत्तियों को अपने भार-साधन में लेंगे और उसकी सूची किसे देना चाहिए—
 (A) पुलिस अधीक्षक को (B) जिला मजिस्ट्रेट को
 (C) निरीक्षक को (D) इनमें से किसी को नहीं
39. पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन कॉन्स्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जाँच और अवधारण की शक्ति का प्रयोग किस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा—
 (A) कोई भी मजिस्ट्रेट (B) जिला मजिस्ट्रेट
 (C) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (D) इनमें से कोई नहीं
40. पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा—
 (A) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किये वारण्टों का सत्वर पालन करे
 (B) लोकशान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रहण करे
 (C) किसी जुआघर, मदिरालय या उच्छृंखल व्यक्ति के समागम स्थान पर प्रवेश ले
 (D) उपर्युक्त सभी
41. विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है—
 (A) सशस्त्र पुलिस के कॉन्स्टेबलों की
 (B) सिविल पुलिस के कॉन्स्टेबलों की
 (C) आसपास के व्यक्तियों की
 (D) उपर्युक्त में से किसी की नहीं
42. पुलिस अधिकारी को सदैव कर्तव्यारूढ़ माना जाता है—
 (A) किसी भी प्रयोजन के लिए
 (B) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए
 (C) शान्ति के अनुरक्षण के लिए
 (D) उपर्युक्त सभी
43. जब कोई भी जमाव धारा 30 के अधीन शर्तों का उल्लंघन करता है, तब उसे बिखर जाने का आदेश दे सकेगा—
 (A) मजिस्ट्रेट
 (B) जिला अधीक्षक
 (C) थाने का भारसाधक प्राधिकारी
 (D) उपर्युक्त सभी
44. पुलिस अधिनियम की धारा 26 के तहत जिला मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा जारी कर सकेगा कि सम्पत्ति पर दावा करने वाला व्यक्ति उसके समक्ष उपसंजात हो, उसके उपसंजात होने की अवधि क्या होगी?
 (A) उद्घोषणा जारी होने के दो माह तक
 (B) उद्घोषणा जारी होने के चार माह तक
 (C) उद्घोषणा जारी होने के छः माह के अन्दर
 (D) कोई निश्चित अवधि नहीं है।
45. अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित न होगी, यह प्रावधान पुलिस अधिनियम की किस धारा में किया गया है?
 (A) धारा 36 (B) धारा 35
 (C) धारा 34 (D) धारा 33
46. पुलिस अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्तियों एवं जुर्माने को इनमें से कौन-से प्रावधान लागू हैं?
 (A) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 64 से धारा 70 तक
 (B) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 68 से धारा 76 तक
 (C) (A) व (B) दोनों
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
47. विशेष पुलिस अधिकारी को किसके आवेदन पर नियुक्त किया जायेगा?
 (A) जिला मजिस्ट्रेट
 (B) जिला अधीक्षक
 (C) पुलिस निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी
 (D) राज्य सरकार
48. विशेष पुलिस अधिकारी अधीनस्थ होगा—
 (A) महानिरीक्षक के
 (B) महानिदेशक के
 (C) जिसके अधीन सामान्य पुलिस होता हो
 (D) उपर्युक्त तीनों

49. डायरी का प्रावधान है—
 (A) धारा 42 में (B) धारा 43 में
 (C) धारा 44 में (D) धारा 45 में
50. विक्षुब्ध क्षेत्रों में राज्य सरकार की अनुमति से अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाती है—
 (A) महानिदेशक द्वारा
 (B) महानिरीक्षक द्वारा
 (C) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा
 (D) उपर्युक्त सभी के द्वारा
51. पुलिस अधिकारी धारा 23 के अधीन बिना वारण्ट के प्रवेश करने और तलाशी लेने का हकदार है—
 (A) मदिरालय
 (B) चूत गृहों
 (C) भ्रष्ट व्यक्तियों के समागम के स्थल
 (D) उपर्युक्त सभी
52. पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेंगे एवं इसके व्ययन की बावत के आदेशों के अधीन हैं।
 (A) मजिस्ट्रेट (B) राज्य सरकार
 (C) केन्द्र सरकार (D) उपर्युक्त सभी
53. मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा एवं उद्घोषणा निकाल सकेगा, है—
 (A) धारा 25 में (B) धारा 26 में
 (C) धारा 27 में (D) धारा 28 में
54. इतिवृत्तों (हिस्ट्री-शीट) के विषय में निम्नलिखित कथनी में से कौन-सा गलत है? (U.P.A.P.O., 2006)
 (A) वर्ग 'ख' की हिस्ट्री-शीट तीन वर्ष की अवधि के लिए होती है और उसे तारांकित किया जाना आवश्यक नहीं है
 (B) डकैतों के गिराव के सक्रिय सदस्य के लिए खोली गई वर्ग 'क' की हिस्ट्री-शीट अवश्य तारांकित की जाये
 (C) जिन व्यक्तियों का कोई स्थायी निवास स्थान न हो उनकी हिस्ट्री-शीट नहीं खोली जानी चाहिए
 (D) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति के लिए हिस्ट्री-शीट खोलना अपेक्षित नहीं है
55. केस डायरी के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (U.P.A.P.O., 2006)
 विवेचनाधिकारी को केस डायरी में वह स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए—
 (A) जब और जहाँ उसे सूचना प्राप्त हुई, जिस पर वह कार्य कर रहा है
 (B) जब और जहाँ से उसने अन्वेषण प्रारम्भ किया
 (C) जब और जहाँ अन्वेषण बन्द किया गया
 (D) जब और जहाँ पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति से सम्बन्धित जानकारी के लिए उसे तलब किया
56. उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन-सा अध्याय सवार पुलिस से सम्बन्धित है? (U.P.A.P.O., 2006)
 (A) अध्याय 5 (B) अध्याय 6
 (C) अध्याय 7 (D) अध्याय 8
57. जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शान्ति भंग हुई है तथा पुलिस बल शान्ति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं— (U.P.A.P.O., 2006)
 (A) निरीक्षण की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा
 (B) सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा
 (C) रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक के द्वारा
 (D) परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा
58. मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाये रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे— (U.P.A.P.O., 2006)
 (A) जो उस जिले में विचारण के योग्य हैं
 (B) जिनके नाम, जाति निवास तथा पूर्व इतिहास सभी शंका सम्भावनाओं से परे सत्यापित हो चुके हों
 (C) जिनके वास्तविक नाम, पता तथा पूर्व इतिहास विनिश्चित न हुए हों
 (D) जो सम्बन्धित जिले के निवासी न हों
59. निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया कि केस डायरी का उपयोग अभियुक्त नहीं कर सकता? अभियुक्त अथवा उसका अधिवक्ता न तो केस डायरी मँगवा सकता है न ही उसके अवलोकन का दावा कर सकता है? (U.P.A.P.O., 2006)
 (A) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश चन्द्र सिंह
 (B) आर्य वीर सक्सेना बनाम राज्य
 (C) केरल राज्य बनाम अमीनी व अन्य
 (D) मुकन्द लाल बनाम भारत संघ
60. पुलिस अधिनियम, 1861 की किस धारा के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है? (U.P.A.P.O., 2006)
 (A) 20 (B) 21
 (C) 22 (D) 23
61. एक पुलिस कॉन्स्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद जाने देता है। वह दोषी है— (U.P.A.P.O., 2002)
 (A) कूट रचना का (B) छल का
 (C) उद्घापन का (D) सदोष परिरोध का

62. पुलिस अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है? (U.P.A.P.O., 2002)

- (A) धारा 13 (B) धारा 16
(C) धारा 14 (D) धारा 15

63. पुलिस अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? (U.P.A.P.O., 2002)

- (A) धारा 2 (B) धारा 3
(C) धारा 4 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

64. पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? (U.P.A.P.O., 2002)

- (A) धारा 21 (B) धारा 22
(C) धारा 23 (D) धारा 24

65. पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से सम्बन्धित उपबन्धों का प्रावधान है? (U.P.A.P.O., 2002)

- (A) धारा 43 में (B) धारा 44 में
(C) धारा 45 में (D) धारा 46 में

66. निम्नलिखित में से किसी धारा में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इंकार करने वाले व्यक्ति के लिए दण्ड का प्रावधान है—

- (A) धारा 17 (B) धारा 18
(C) धारा 19 (D) धारा 20

67. विशेष पुलिस अधिकारी अधीनस्थ होता है—

- (A) वरिष्ठ अधिकारी के
(B) महानिदेशक के
(C) महानिरीक्षक के
(D) जिसके अधीन सामान्य पुलिस अधिकारी होता है

68. पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है ?

- (A) धारा 21 (B) धारा 22
(C) धारा 23 (D) धारा 24

69. पुलिस अधिकारी को सदैव कर्तव्य रुद्ध माना जाता है—

- (A) किसी भी प्रयोजन के लिए
(B) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए
(C) शांति के अनुरक्षण के लिए
(D) उपर्युक्त सभी

70. पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है ?

- (A) 20 (B) 21
(C) 22 (D) 23

71. ग्राम पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती किया जा सकता है—

- (A) उसकी सम्मति से
(B) नाम-निर्देशन का अधिकार रखने वाले की सम्मति से
(C) (A) तथा (B) दोनों
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

72. धारा 21 की कोई बात लागू नहीं होगी—

- (A) आनुवंशिक पुलिस अधिकारी को
(B) ग्राम पुलिस अधिकारी को
(C) (A) तथा (B) दोनों को
(D) उपर्युक्त किसी को नहीं

73. सिविल पुलिस में उपनिरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है ?

- (A) पुलिस अधीक्षक (B) उपमहानिरीक्षक
(C) महानिरीक्षक (D) संघ लोक सेवा आयोग

74. सहायक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कौन करता है ?

- (A) पुलिस अधीक्षक (B) राज्यपाल
(C) संघ लोक सेवा आयोग (D) राज्य लोक सेवा आयोग

75. सशस्त्र और सिविल पुलिस के सिपाहियों की भर्ती करता है—

- (A) अन्वेषण अधिकारी (B) पुलिस अधीक्षक
(C) आयुक्त (D) उच्च न्यायालय

उत्तरमाला

- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (A) | 2. (C) | 3. (C) | 4. (B) | 5. (B) |
| 6. (A) | 7. (A) | 8. (B) | 9. (C) | 10. (A) |
| 11. (D) | 12. (A) | 13. (D) | 14. (A) | 15. (A) |
| 16. (D) | 17. (B) | 18. (C) | 19. (A) | 20. (D) |
| 21. (B) | 22. (B) | 23. (B) | 24. (C) | 25. (A) |
| 26. (D) | 27. (C) | 28. (A) | 29. (A) | 30. (A) |
| 31. (A) | 32. (C) | 33. (A) | 34. (C) | 35. (C) |
| 36. (D) | 37. (B) | 38. (B) | 39. (C) | 40. (D) |
| 41. (C) | 42. (B) | 43. (D) | 44. (C) | 45. (A) |
| 46. (A) | 47. (C) | 48. (C) | 49. (C) | 50. (D) |
| 51. (D) | 52. (A) | 53. (B) | 54. (A) | 55. (D) |
| 56. (D) | 57. (A) | 58. (A) | 59. (D) | 60. (C) |
| 61. (D) | 62. (D) | 63. (A) | 64. (C) | 65. (B) |
| 66. (C) | 67. (D) | 68. (C) | 69. (B) | 70. (C) |
| 71. (C) | 72. (C) | 73. (B) | 74. (C) | 75. (B) |



UNIT

I

प्रमुख धाराएँ एवं पैरा



पुलिस एक्ट की धाराएँ	
धारा	
1.	निर्वचन खण्ड
2.	बल का गठन
3.	राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना
4.	पुलिस महानिरीक्षक आदि
5.	महानिरीक्षक की शक्तियाँ-शक्तियों का प्रयोग
6.	(निरसित)
7.	अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि
8.	पुलिस अधिकारियों को प्रमाण-पत्र
9.	पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या दो मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे
10.	पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे
11.	[निरसित]
12.	महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति
13.	व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी
14.	रेल और अन्य कर्मों के आस-पास अतिरिक्त बल की नियुक्ति
15.	विशुद्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना
15-क.	निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना
16.	धारा 13, 14, 15 और 15-क के अधीन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन
17.	विशेष पुलिस अधिकारी
18.	विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति
19.	विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इन्कार

20.	पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार
21.	ग्राम पुलिस अधिकारी
	फोर्ट विलियम की प्रेसीडेन्सी में पुलिस चौकीदार
22.	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किये जा सकेंगे
23.	पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य
24.	पुलिस अधिकारी इतिला इत्यादि कर सकेंगे
25.	पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेंगे और इसके बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे
26.	मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा
27.	यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता, तो सम्पत्ति का अधिहरण
28.	पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण-पत्र इत्यादि का परिदान करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति
29.	कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ
30.	लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देना
30-क.	अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के सम्बन्ध में शक्तियाँ
31.	पुलिस, लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखेगी
32.	ठीक पूर्ववर्ती तीन धाराओं के अधीन निकाले गये आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति
32-क.	सामूहिक ड्रिल एवं सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति
32-ख.	धारा 32-क के अंतर्गत वर्णित निषेधों के उल्लंघन के लिए दण्ड

33.	जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति	
34.	सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दण्ड इत्यादि— पुलिस अधिकारियों की शक्ति	
34-क.	धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन	
35.	अधिकारिता	
36.	अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी।	
37.	मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली	
38 से 41.	[निरसित]	
42.	कार्यवाहियों के लिए परिसीमा	
43.	यह अभिवचन कि कार्य वारण्ट के अधीन किया गया था	
44.	पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे	
45.	राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी	
46.	अधिनियम की परिधि	
47.	पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार	
	पुलिस विनियम के अध्याय	
अध्याय	प्रावधान	पैरा
1.	वरिष्ठ अधिकारीगण	पैरा 1 से 17 तक
2.	रिजर्व निरीक्षण और रिजर्व उपनिरीक्षक	पैरा 18 से 24 तक
3.	लोक सेवा अभियोजक और उनके अधीनस्थ (पैरा 25 से 38 तक निकाल दिया गया है)	पैरा 25 से 39 तक
4.	क्षेत्र निरीक्षक	पैरा 40 से 42 तक
5.	उपनिरीक्षक और सिविल पुलिस के अवर (अधीनस्थ) अधिकारी	पैरा 43 से 64 तक

6.	सशस्त्र पुलिस	पैरा 65 से 72 तक
7.	सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व	पैरा 73 से 78 तक
8.	घुड़सवार पुलिस	पैरा 79 से 88 तक
9.	ग्राम्य पुलिस	पैरा 89 से 96 तक
10.	थाने में की गयी रिपोर्ट	पैरा 97 से 103 तक
11.	अन्वेषण	पैरा 104 से 128 तक
12.	पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों का उपचार	पैरा 129 से 146 तक
13.	गिरफ्तारी, जमानत एवं अभिरक्षा	पैरा 147 से 164 तक
14.	सम्पत्ति की अभिरक्षा एवं निस्तारण	पैरा 165 से 173 तक
15.	विशेष अपराध	पैरा 174 से 185 तक
16.	अपराधी जनजातियाँ, विदेशी और खानाबदोश	पैरा 186 से 189 तक
17.	गश्त और नाकाबंदी	पैरा 190 से 195 तक
18.	विशेष गारद एवं अतिरिक्त पुलिस	पैरा 196 से 214 तक
19.	फरार अपराधी	पैरा 215 से 222 तक
20.	बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी	पैरा 223 से 276 तक
21.	आदेशिकाओं का निष्पादन	पैरा 277 से 282 तक
22.	अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज	पैरा 283 से 300 तक
23.	पुलिस थानों पर रखे गये लेखे	पैरा 301 से 308 तक
24.	भारतीय राज्य (निरसित)	पैरा 309 से 321 तक
25.	जन्म और मरण की रिपोर्ट देना और पंजीकरण	पैरा 322 से 327 तक
26.	अकाल के समय पुलिस अधिकारी को मार्गदर्शन हेतु निर्देश	पैरा 328 से 337 तक

27. विशेष अधिनियमों और नियमों के अधीन कर्तव्य	पैरा 338 से 369 तक
28. प्रकीर्ण	पैरा 370 से 395 तक
29. नियुक्ति	पैरा 396 से 427 तक
30. पदोन्नतियाँ	पैरा 428 से 463 (ख) तक
31. पारितोषिक (इनाम)	पैरा 464 से 476 तक
32. पुलिस अधिकारियों का विभागीय दण्ड एवं उनका आपराधिक अभियोजन	पैरा 477 से 507 (क) तक

33. अपील, पुनरीक्षण, याचिकाएँ और दस्तावेजों की विभागीय प्रतियाँ	पैरा 508 से 519 (क) तक
34. स्थानांतरण	पैरा 520 से 526 तक
35. राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और रिजर्व उपनिरीक्षकों का प्रशिक्षण	पैरा 527 से 533 तक
36. उपनिरीक्षकों का प्रशिक्षण	पैरा 534 से 538 तक
37. प्रधान कॉन्स्टेबलों और कॉन्स्टेबलों का प्रशिक्षण।	पैरा 539 से 554 तक

